

SRPI-211-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

V-190/CR.J.(e)

in the court of.....

Case No.....

शिवानी शर्मा

न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रथम श्रेणी

गोहद, जिला-भिण्ड

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

विनेश सिंह 510 बुन्दा लाल विवर

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 22-5-10 को समय 22-30 बजे स्थान के 455 पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

दिनांक

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value the property in respect of which of which the offence has been committed.

(निर्णय)
(आज दिनांक 4-6-10 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 34 आवदा के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा 34 आवदा के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 1200/- अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जब्तशुदा 2000/- अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता 0 व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला सिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला सिण्ड